4- <u>कृत्यों के निर्वहन में निर्धारित मापदण्ड</u> :-

विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु विभाग में 05 अनुभागों की व्यवस्था की गयी है। मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक अनुभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था की गयी है। विधायी प्रश्नों, आश्वासन, मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ, मा0 न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

समस्त कार्मिकों द्वारा व्यवहृत किए जाने वाले कायो हेतु जनपद स्तर पर संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी / संस्थाध्यक्षों को आदेश जारी कर कार्य का पृथक-पृथक बंटवारा किया जाता है। कार्य बॅटवारे के अनुसार समस्त कार्मिक स्वयं को आवंटित कार्यों के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं।